कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमेठी

पत्रांक 1279 / कार्य-2 / 63 दिनांक 25/08/26

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी,
अमेठी।

विषयः दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 21.08.2026 को प्रकाशित समाचार "अमेठी में जल जीवन मिशन" अधूरा, 15 परिवार नल कनेक्शनः शिवरतनगंज में अधिकारियों ने एक सप्ताह में कनेक्शन का आश्वासन दिया" के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 21.08.2026 को प्रकाशित खबर के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराना है कि 'जेहठा उसराहा ग्रामीण पेयजल योजना' वर्तमान में अपने क्रियान्वयन चरण को पार कर ओ0एण्ड0एम0 फेज में जा चुकी योजना है। इस योजना के अंतर्गत शत–प्रतिशत घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने का कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप संपन्न कराया गया है। जब इस योजना के निष्पादन चरण के दौरान घरों में कनेक्शन दिए जा रहे थे, तब संबंधित परिवारों द्वारा कनेक्शन लेने से साफ मना कर दिया गया था।

तत्पश्चात, ओ0एण्ड0एम0 फेज में जाने से पूर्व ट्रायल एवं रन फेज के दौरान जब विभाग द्वारा पुनः भौतिक जाँच की गई, तो यह पाया गया कि कुछ लोग किन्हीं कारणों से एफ0एच0टी0सी0 (कनेक्शन) से वंचित रह गए हैं। इस पर एफ0एच0टी0सी0 की टीम को दोबारा मौके पर भेजा गया, किंतु तब भी इन परिवारों द्वारा पुनः यह कहकर कनेक्शन लगवाने से इनकार कर दिया गया कि उन्हें कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। अब जब योजना के तहत क्षेत्र में नियमित रूप से पानी का संचालन सुचारू रूप से होने लगा है और अन्य ग्रामीण परिवारों को इस जनहितकारी योजना का भरपूर लाभ लेते देख इन लोगों द्वारा पुनः कनेक्शन की मांग की जा रही है।

उपरोक्त के बावजूद, विभागीय सद्भाव एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आगामी 1 माह के अंतर्गत इन वंचित परिवारों को नियमानुसार कनेक्शन प्रदान करा दिया जाएगा, जिससे किसी भी नागरिक को असुविधा न हो।

अतः अनुरोध है कि इस तथ्यात्मक स्थिति से अवगत होना चाहें।

भवदीय

A Tripathi

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 / / दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या(कैम्प–बाराबंकी) को सादर सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, अमेठी को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदया, अमेठी को सादर सूचनार्थ।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
5. मेसर्स वेलस्पन प्रा0लि0 मुम्बई (कैम्प–अमेठी) को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वंचित परिवारों को एक माह के अन्दर कनेक्शन कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता